न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 211/2023

जयराम तिवारी.....................................वादी।

बनाम्

ललन तिवारी वगैरह्..................................प्रतिवादीगण।

आदेश

06-03-2025

उभय पक्षों की हाजिरी है। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दिनांक 02.01.2025 के आवेदन पर प्रति–उत्तर दाखिल किया गया। प्रतिवादी सं0 05 व 09 की तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 02.01.2025 को प्रचालित करते हुए प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि प्रतिवादी सं0 05 के विरूद्ध इस वाद की कार्यवाही दिनांक 03.04.2024 को एकपक्षीय अग्रसारित है तथा प्रतिवादी सं0 09 इस वाद में हाजिर हुए है लेकिन कम पढ़ लिखे होने के कारण समय पर बयान तहरीरी दाखिल नहीं कर पाये तथा प्रतिवादी सं0 09 को बयान तहरीरी दाखिल करने से दिनांक 11.01.2024 को वंचित कर दिया गया है। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते है कि दिनांक 03.04.2024 को पारित प्रतिवादी सं0 05 के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश को वापस किया जाय तथा प्रतिवादी सं0 09 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 11.01.2024 को वापस करते हुए प्रतिवादी को बयान तहरीरी देने का मौका दिया जाए।

वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हैं तथा प्रतिवादी के आवेदन पर प्रति–उत्तर को प्रचालित करते हुए कथन करते हैं कि प्रतिवादी का आवेदन कानूनतः पोषणीय नहीं है तथा वादी को परेशान करने की नियत से दाखिल किया गया है तथा अनुरोध करते हैं कि प्रतिवादी का आवेदन दिनांक 02.01.2025 को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना तथा अवलोंकन किया। अवलोकन से विदित होता है प्रतिवादी सं0 05 के विरूद्ध दिनांक 03.04.2024 को इस वाद की कार्यवाही एकपक्षीय अग्रसारित है तथा प्रतिवादी सं0 09 को बयान तहरीरी दाखिल करने से दिनांक 11.01.2024 को वंचित कर दिया गया है। चूकि प्रतिवादी 05 व 09 इस वाद में महत्वपूर्ण पक्षकार तथा प्रतिवादी है तथा उनके तरफ से इस वाद में बयान तहरीरी आना न्याय–निर्णयन में सहायक होगा। प्रस्तुत मुकदमें में प्रतिवादी सं0 02 से 04 तथा 06 से 08 तथा 10 से 15 वादी के समर्थक पक्षकार है। वादी द्वारा प्रस्तुत मुकदमें में किये गए व्यय,

लगातार

06.03.2025 समय और प्रयास को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवादी सं0 05 व 09 के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 02.01.2025 को मो0 500/– (पॉच सौ रूपये) के खर्चे पर स्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार आदेश दिनांक 11.01.2024 तथा 03.04.2024 प्रत्याहरित किया जाता है।

दिनांक–01.05.2025 वास्ते प्रतिवादी सं0 05 व 09 के बयान तहरीरी दाखिल करने हेतू।

लेखापित

(कमलेश सिंह देऊ)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)